

27/01/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विपक्ष
कार्यों में व्यस्त है, मिराल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आवेशिका अनुसार आइन्दा दिनांक 10/02/25
तक पेश हो।

10/02/25

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी विपक्ष
कार्यों में व्यस्त है, मिराल इत्यादि होकर पत्रावली
पूर्व आवेशिका अनुसार आइन्दा दिनांक 18/02/25
तक पेश हो।

18/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरो पत्रावली वाले आदेश
द्वारा अर्द्ध-दिनांक 24/02/25 को पेश हो।

24/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपरो नेखमबंदी विणय अलग
से लिखा जाऊत बाबिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फाइल
मुद्राद खेतर दारिफ्त दफ्तर से संख्या से उम हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 310/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट, 1956

पुनर्माग वनाम मोहन वगैरा

पीठासीन अधिकारी - बद्दीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.

प्रार्थी वकील - श्री करनाराम कड़वारा

निर्णय

दिनांक - 24/02/2025

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री करनाराम कड़वारा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 रापठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक व कब्जाकाशत का खेत तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र गैरूड़ी के गू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा बावतलाई के खेत खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या 262 रकबा 6-4588 हैक्टेयर, किरम बाराणी सोयम, राजस्व ग्राम चालकना के खाता संख्या नया 56 के खसरा संख्या 268/82 रकबा 0-6151 हैक्टेयर किरम चा.सोयम व खसरा संख्या 269/88 रकबा 0-9712 हैक्टेयर किरम चा. सोयम भूमि स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण रोड़ों को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पैमाइश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तागिल प्राप्त हुए, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा- जमाबंदी संवत् 2075-77, खसरा नक्शा एवं जमाबंदी तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर वकील प्रार्थी की बहारा सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकनोपरांत जाहिर होता है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अस्तु, प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाइश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त विचारण के उपरांत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 रापठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 रवीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 रापठित धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 रवीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा के पटवार क्षेत्र गैरूड़ी के गू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा बावतलाई के खेत खाता संख्या नया 40 के खसरा संख्या 262 रकबा 6-4588 हैक्टेयर, किरम बाराणी सोयम, राजस्व ग्राम चालकना के खाता संख्या नया 56 के खसरा संख्या 268/82 रकबा 0-6151 हैक्टेयर किरम चा.सोयम व खसरा संख्या 269/88 रकबा 0-9712 हैक्टेयर किरम चा. सोयम भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी कार्य हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्षों के रुबरु किसी मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विचारित प्रकरण में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, तो वह हल्का पटवारी के साथ उभय पक्षों के रुबरु विवादित भूमि के मौके व कब्जे काशत में परिवर्तन के बिना मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाइश करें व नियमानुसार नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करें। मौके पर कानून व्यवस्था के दृष्टिगत (यदि आवश्यकता हो तो) तहसीलदार को नियमानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को आदेश दिया जाता है।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बद्दीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
(SDO) सेड़वा